



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1318]  
No. 1318]नई दिल्ली, बहस्तिवार, नवम्बर 2, 2006/कार्तिक 11, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2006/KARTIKA 11, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2006

का.आ. 1889(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 सितम्बर, 2009 तक की अवधि के लिए नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 से क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

3.	प्रोफेसर माधव गाडगिल सेंटर फॉर इकोलोजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर।	-सदस्य
4.	प्रोफेसर गोपाल के. काढेकोडी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक चेंज नगरभावी, डाकघर-बंगलौर।	-सदस्य
5.	श्री एच. एस. पंचार सेवानिवृत्त निदेशक, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लूम-22, साडथ सिटी गुडगांव।	-सदस्य
6.	प्रोफेसर राम दयाल मुंडा रांची विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड।	-सदस्य
7.	प्रोफेसर अनिल पी. गोरे सौख्यकी विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे।	-सदस्य
8.	प्रोफेसर रमन सुकुमार सेंटर फॉर इकोलोजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर।	-सदस्य

9. डा. जमाल अहमद खान —सदस्य  
वन्यजीव विज्ञान विभाग,  
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
10. डा. अर्चना प्रसाद —सदस्य"  
सेंटर फॉर जबाहर लाल नेहरू स्टडीज,  
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

[फा. सं. 6(4)/2005-पी ई]

डा. राजेश गोपाल, महानिरीक्षक, बन और सदस्य-सचिव  
(राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण)

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2006

S.O. 1889(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following expert or professional members in the National Tiger Conservation Authority for a period upto 3rd September, 2009 with effect from the date of publication of this notification, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely :—

In the said notification, for serial numbers 3 to 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

3. Prof. Madhav Gadgil —Member  
Centre for Ecological Sciences,  
Indian Institute of Science, Bangalore.
4. Prof. Gopal K. Kadekodi —Member  
Director, Institute for Social and Economic Change,  
Nagarabhavi, P.O. Bangalore.
5. Shri H. S. Panwar —Member  
Retd. Director, Wildlife Institute of India,  
M-22, South City, Gurgaon.
6. Prof. Ram Dayal Munda —Member  
Ranchi University, Ranchi Jharkhand,
7. Prof. Anil P. Gore —Member  
Department of Statistics, University of Pune, Pune.
8. Prof. Raman Sukumar —Member  
Centre for Ecological Sciences,  
Indian Institute of Science, Bangalore.
9. Dr. Jamal Ahmad Khan —Member  
Department of Wildlife Sciences,  
Aligarh Muslim University, Aligarh.
10. Dr. Archana Prasad —Member"  
Centre for Jawahar Lal Nehru Studies,  
Jamia Millia Islamia University, New Delhi.

[F.No. 6(4)/2005-PT]

Dr. RAJESH GOPAL, Inspector General of Forests & Member Secy.  
(National Tiger Conservation Authority)